

इसे वेबसाइट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



# मध्यप्रदेश राजपत्र

( असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 74]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 21 फरवरी 2019-फाल्गुन 2, शक 1940

कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश  
निर्वाचन सदन, 17-अरेरा हिल्स, भोपाल

फा.क्र. -1-MCMC-2019-2541.-

भोपाल, दिनांक 21 फरवरी 2019

आदेश

भारत निर्वाचन आयोग के आदेश क्रमांक 491/पेड न्यूज/2012/मीडिया दिनांक 27/08/2012 में दिए गए निर्देशानुसार निम्नानुसार राज्य स्तरीय मीडिया सर्टिफिकेशन एवं मॉनिटरिंग कमेटी का गठन किया जाता है -

- i. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश - अध्यक्ष
- ii. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त एक प्रेक्षक - सदस्य
- iii. संयुक्त निदेशक, (न्यूज) आकाशवाणी, भोपाल- सदस्य
- iv. निदेशक, (न्यूज) दूरदर्शन केंद्र, भोपाल- सदस्य
- v. प्रेस काउंसिल ऑफ इण्डिया द्वारा नामांकित सदस्य - सदस्य
- vi. ब्यूरो चीफ, पी.टी.आई., भोपाल- सदस्य
- vii. ब्यूरो चीफ, यू.एन.आई., भोपाल - सदस्य
- viii. संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश - सदस्य सचिव।

इस समिति द्वारा आयोग के आदेश दिनांक 27/08/2012 के अंतर्गत गठित समिति एवं जिला स्तरीय मीडिया सर्टिफिकेशन एवं मॉनिटरिंग कमेटी द्वारा लिए गए निर्णय के विरुद्ध किसी राजनैतिक दल अथवा उम्मीदवार अथवा किसी व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत शिकायत/अपील की सुनवाई करके अथवा ऐसे प्रकरण जो स्वविवेक से समिति द्वारा लिए जाएं, विज्ञापन के प्रमाणीकरण अथवा पेड न्यूज के संबंध में निर्णय दिया जावेगा।

फा.क्र. -1-MCMC-2019-2338.-

भारत निर्वाचन आयोग के आदेश क्रमांक 509/75/2004/JS-I दिनांक 15/04/2004 में दिए गए निर्देशानुसार विज्ञापन प्रमाणन हेतु राज्य स्तरीय मीडिया सर्टिफिकेशन समिति का गठन निम्नानुसार किया जाता है -

- i. संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश (निर्वाचन व्यव निगरानी) - अध्यक्ष
- ii. उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश (निर्वाचन व्यव निगरानी) - सदस्य
- iii. सहायक निदेशक (समाचार), दूरदर्शन - सदस्य
- iv. कलेक्टर, भोपाल (रिटर्निंग अधिकारी) - सदस्य

इस समिति द्वारा आयोग के आदेश दिनांक 15/04/2004 के अंतर्गत राजनैतिक दलों और संगठनों द्वारा दिए गए आवेदनों के आधार पर विज्ञापन के अनुवीक्षण एवं प्रमाणन का कार्य किया जावेगा।

राजेश श्रीवास्तव, उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी.